


মাইক্রোডের প্লাট নং ১০ ৯২৬ / ২০১৮-১৯

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
१९/०८/२०	अभिलेख उपस्थापित।	उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-१७०४/रा०, दिनांक-१५.०७.२०२० के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- ३.१.२०२० को उपस्थापित करें।
३/१२/२०	अभिलेख उपस्थापित।	 अंचल अधिकारी, निरसा।
५/१२/२०	अभिलेख उपस्थापित।	नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक- ५.१२.२०२० को उपस्थापित करें।
५/१२/२०	अभिलेख उपस्थापित।	 अंचल अधिकारी, निरसा।
.....	संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-१७०४/रा०, दिनांक-१५.०७.२०२० में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा- ५१४१५१५१, मौजा नं०- ६३, साबिक खाता सं०- ७८, साबिक प्लॉट सं०- ८, रकवा- ८, जिसका हाल खाता सं०- १९१, हाल	

प्लॉट सं0—..... रकवा—..... गत सर्वे खतियान
एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक—01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार.....~~राम शंकर शेष~~
के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या—134..... को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा—4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या—134..... को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

अंचल अधिकारी,
मिरसा।

926 अंचल अधिकारी का कार्यालय
अभिलेख वाद संख्या- 915/16-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपाठी-श्री अनुज गुरुजर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार प्रियांग का पत्र। संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पाठी राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूरी खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

भौजा- कापापाड़ी, थाना- १७(MI), खाता संख्या- २८, प्लॉट संख्या- १८, रकवा- १, एकड़ की भूमि जो गैरमजरूरी खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस भौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- १३४ I, के पृष्ठ संख्या- १३४, पर जमाबंदी रेयत रामशोठ(११५ के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के पिछले कायम जामबंदी को सांदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सकाम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुक्मनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति करित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी को जमीन की सूजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना चाहिनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रेयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित गूल दरस्तावेजों/निर्गत लगान ररीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छ करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत राक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-..... को उपराधापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी